कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

☎ 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0–08/2020– 128 दिनांक : 19/2/2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल/सिमडेगा वन प्रमण्डल/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा/विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका/विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, चाईबासा/वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास एवं सीसल वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य हेतु कुल **रू0 277.930 लाख (दो करोड़ सतहत्तर लाख तिरानवे हजार रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–32/2020–22/स्वी0 व0प0 दिनांक 19.01.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0–32/2020–37/आ0 व0प0 दिनांक 21.01.2021 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–58–अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020–21 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 277.930 लाख (दो करोड़ सतहत्तर लाख तिरानवे हजार रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101580103	205.046
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101580323	72.884
कुल :–		**277.930**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1 (क)** एवं **(ख)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यो की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2 (क)** एवं **(ख)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

विभाग द्वारा स्वीकृत एवं उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप राशि का उप आवंटन इस शर्त्त के साथ किया जाता है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन स्थलों पर कार्य का सम्पादन किया जाना है, उन स्थलों को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित स्थल चयन समिति से अनुमोदन कराकर उसकी प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601101580103 एवं 19S240601101580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरुप किया जायेगा।

5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे, जिनके द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

10. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकती है।

11. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, इस संबंधी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं हो, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

13. दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रुप से अंकित रखा जायेगा।

14. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(iii) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाएगा।

(vi) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(vii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्त्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति मे नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(ix) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

15. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(i) सभी यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(ii) वैसे यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

16. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

17. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरीडीह एवं गोड्डा जिलों में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक–1204 दिनांक– 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगें। निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

20. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाए।

21. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापाक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

23. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा ।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–08/2020–** 128 दिनांक– 19/02/2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ राँची/ मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ गिरिडीह/ गुमला/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

19/2/2021

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\DEVELOPMENT\2020-21\Allotment\OA\Notified Forest & Soil Conservation\S.O. 22 dt 19.01.2021 (9)\Allotment.doc

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–08/2020–128** दिनांक– 19/2/2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, धनबाद/ गिरिडीह/ सिमडेगा/ हजारीबाग/ कोडरमा/ दुमका/ चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\DEVELOPMENT\2020-21\Allotment\OA\Notified Forest & Soil Conservation\S.O. 22 dt 19.01.2021 (9)\Allotment.doc

अनुलग्नक–1 (क)

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हे0) का अग्रिम कार्य हेतु प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय वर्ष 2020–21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			40554.18	**16420.94**	**56975.12**
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**
1	धनबाद वन प्रमण्डल	50	20.277	8.211	28.488
2	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	50	20.277	8.211	28.488
3	सिमडेगा वन प्रमण्डल	50	20.277	8.211	28.488
4	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	30	12.167	4.926	17.093
5	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	60	24.333	9.853	34.186
6	विश्व खाद्य कार्यक्रम, दुमका	50	20.277	8.211	28.488
7	विश्व खाद्य कार्यक्रम, चाईबासा	100	40.554	16.421	56.975
योग :–		**390**	**158.162**	**64.044**	**222.206**

अनुलग्नक–1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत सीसल वृक्षारोपण (6150 पौधा प्रति हे0) का अग्रिम कार्य हेतु प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय वर्ष 2020–21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			93768.60	**17680.74**	**111449.34**
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**
1	वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची	50	46.884	8.840	55.724
योग :–		**50**	**46.884**	**8.840**	**55.724**
सकल योग :–		**440**	**205.046**	**72.884**	**277.930**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\DEVELOPMENT\2020-21\Allotment\OA\Notified Forest & Soil Conservation\S.O. 22 dt 19.01.2021 (9)\Advance work (OA).

अनुलग्नक–2 (क)

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण (1000 पौधा प्रति हे0)

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1000 पौधे मजदूरी दर : 295.80 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. X 3 मी. अथवा 2 मी. X 2 मी. अथवा 3 मी. X 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2020–21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 295.80						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3	887.40	0.00	887.40	
2.1	सामान्य झाड़ी	हे0	7	2070.60		2070.60	
2.2	कटबेक / कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हे0	10	2958.00		2958.00	
3	घेरान कार्य			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक–01.04.2014 से लागू का आईटम सं0 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन पति हे0	12	3549.60	11782.74	15332.34	प्रति हे0 अनुमानिक 6 चेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। स्थल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि घेरान निर्धारित दर के अनुरुप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी0 X 0.3 मी.) 0. 027 क्यू0मी0 1000 पीट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे0	22	6507.60		6507.60	
5	मृदा एवं जल संरक्षण–गली प्लगिग / सिल्ट रिटेंशन डेम / कंटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हे0	45	13311.00		13311.00	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	10	2958.00		2958.00	30 प्रतिशत पौधा रुट–शूट विभागीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट–शूट रू0 5/– की दर से क्रय कर ट्यूब में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत तिरिक्त रुट के साथ)
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे0		0.00	2400.00	2400.00	
8	विविध कार्य (छायांकन,साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य	हे0	28.10	8311.98	2088.20	10400.18	
	योग :–		**137.10**	**40554.18**	**16420.94**	**56975.12**	

नोट (1) अग्रिम कार्य आरम्भ करने के समय लागु दैनिक मजदूरी दर पर सात वर्षीय योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यो पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।

(2) स्थल विशिष्ठ प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाऐंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरुपेण आवश्यकतानुसार किया जाएग इस कारण मजदूरी मद में राशि की व्यय 20% से ज्यादा या कम हो सकता है।

(3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से सबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।

(4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासयनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।

(5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।

(6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।

(7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम– सीसल वृक्षारोपण हेतु कार्य दर प्रति हे0

पौधों की संख्या प्रति हे0:– 6150

क्र0 सं0	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस प्रति हे0	मजदूरी रू0 में	सामग्री रू0 में	कुल व्यय रू0 में	अभ्युक्ति
(A)	वित्तीय वर्ष 2020–21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस :- रू0 295.80						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3.00	887.40	0.00	887.40	
2	सामान्य झाड़ी	हे0	7	2070.60	0.00	2070.60	
3	मशीन द्वारा ट्रैंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक–01.04.2014 से लागू का आईटम सं0 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन	12	3549.60	11782.74	15332.34	प्रति हे0 अनुमानिक 6 चेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। स्थल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि घेरान निर्धारित दर के अनुरुप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
4	मृदा कार्य 0.3 मी. X 0.3 मी.X 0.3 मी.	हे0	132	39045.60	0.00	39045.60	
5	अंश पौधशाला कार्य– बुलाबिल पर आधारित पौधशाला स्थानीय रूप से उपलब्ध रहने पर 7380 पौधे कार्य अवधि एक वर्ष बुलबिल संग्रहण सहित	हे0	163	48215.40	5748.00	53963.40	
6	विविध कार्य छायांकन प्रचार प्रसार मुद्रण संम्वधित कार्य	हे0	0	0.00	150.00	150.00	
	योग :–		**317**	**93768.60**	**17680.74**	**111449.34**	

नोट (1) स्थल विशिष्ठ प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरुपेण
(2) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से सबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।
(3) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासयनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा
(4) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-08/2020/128 दिनांक - 19-Feb-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	79538	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,027,700.00 रुपये बीस लाख सत्ताइस हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA			
2	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	79539	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	2,027,700.00 रुपये बीस लाख सत्ताइस हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA			

योग: 4,055,400.00

क्रमिक योग: रुपये चालीस लाख पचपन हजार चार सौ

19/2/2021

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCH

Run Date: 19/2/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	79540	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	2,027,700.00 रुपये बीस लाख सत्ताइस हजार सात सौ
4	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	79541	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	1,216,700.00 रुपये बारह लाख सोलह हजार सात सौ
5	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	79542	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	2,433,300.00 रुपये चौइस लाख तैतीस हजार तीन सौ

योग: 5,677,700.00

क्रमिक योग: रुपये सित्तानवे लाख तैतीस हजार एक सौ 9,733,100.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-08/2020/128 दिनांक - 19-Feb-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	79543	DMKFOR004 SRI RAJ KISHOR CHAUDHARY D.F.O.W.F.P.DUMKA	2,027,700.00 रुपये बीस लाख सत्ताइस हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA			
7	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	79544	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W. F. PRO.DIV.CBSA.	4,055,400.00 रुपये चालीस लाख पचपन हजार चार सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA			
8	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	79546	DRNFWL032 RAJIV RANJAN CCF & STATE SILVICULTURIST JH	4,688,400.00 रुपये छयालीस लाख अठयासी हजार चार सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA			

योग: 10,771,500.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड पॉच लाख चार हजार छः सौ 20,504,600.00

(NAND KISHORE SINGH) 19/2/2021
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCH

Run Date: 19/2/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	79548	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	821,100.00 रुपये आठ लाख इक्कीस हजार एक सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA			
10	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	79549	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	821,100.00 रुपये आठ लाख इक्कीस हजार एक सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA			
11	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	79551	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	821,100.00 रुपये आठ लाख इक्कीस हजार एक सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA			

योग: 2,463,300.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड उन्तीस लाख सड़सठ हजार नौ सौ 22,967,900.00

19/2/21

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	79552	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	492,600.00 रुपये चार लाख बयानवे हजार छः सौ
13	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	79554	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERM/	985,300.00 रुपये नौ लाख पिचयासी हजार तीन सौ
14	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	79555	DMKFOR004 SRI RAJ KISHOR CHAUDHARY D.F.O.W.F.P.DUMKA	821,100.00 रुपये आठ लाख इक्कीस हजार एक सौ

योग: 2,299,000.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड बावन लाख छाछठ हजार नौ सौ 25,266,900.00

19/4/2021

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

पत्र संख्या - 01/YB-08/2020/128 दिनांक - 19-Feb-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
15	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	79557	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W. F. PRO.DIV.CBSA.	1,642,100.00 रुपये सोलह लाख बयालीस हजार एक सौ

State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)
Centeral Scheme : NA

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	79558	DRNFWL032 RAJIV RANJAN CCF & STATE SILVICULTURIST JH	884,000.00 रुपये आठ लाख चौरासी हजार

State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)
Centeral Scheme : NA

योग: 2,526,100.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड सित्योत्तर लाख तिरनावे हजार 27,793,000.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND